प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 11.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 10.06.2026 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ), भोपाल के पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) अनिल कुमार जैन की लगभग 3.01 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने जांच की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत अनिल कुमार जैन के विरुद्ध उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अनुपातहीन संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि 01.04.2017 से 31.12.2018 की जांच अवधि के दौरान अनिल कुमार जैन ने लगभग 3.01 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ अर्जित कीं, जो उनकी ज्ञात वैध आय की तुलना में लगभग 481 प्रतिशत अधिक थीं। अतः उक्त संपत्तियाँ उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के सापेक्ष अत्यधिक अनुपातहीन पाई गईं।

जांच के दौरान यह पाया गया कि अनिल कुमार जैन ने अचल संपत्तियों की बिक्री के नाम पर अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में लगभग 2.35 करोड़ रुपये की भारी नकद राशि जमा कराई थी, जिसके समर्थन में वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि उक्त नकद जमाओं को सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में परिवर्तित कर अपराध से अर्जित आय को आगे बढ़ाया गया तथा उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया गया।

श्री अनिल कुमार जैन उक्त नकद जमाओं के संबंध में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण, वैध स्रोत अथवा समर्थनकारी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे। उपर्युक्त नकद जमा के अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा लगभग 0.66 करोड़ रुपये की एफडीआर भी अनुपातहीन संपत्तियों के रूप में अर्जित की गई थीं।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि श्री अनिल कुमार जैन ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित हवाला संचालकों के साथ मिलीभगत कर अपनी अवैध आय को वैध आय के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि वाली एक शेल कंपनी, मैसर्स एक्सीलेंट इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, को अचल संपत्तियों की कथित बिक्री का बहाना बनाया।

अनिल कुमार जैन ने दावा किया कि उक्त कथित लेन-देन के प्रतिफल के रूप में उन्हें कंपनी के निदेशकों, जिनमें डमी निदेशक के रूप में कार्य करने वाला अखिलेश चौधरी भी शामिल था, से नकद राशि प्राप्त हुई थी।

तदनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित प्रत्यक्ष आय होने के कारण लगभग 3.01 करोड़ रुपये मूल्य की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई उक्त संपत्तियों को छिपाए जाने, हस्तांतरित किए जाने अथवा उनके निपटान को रोकने तथा जब्ती की कार्यवाही हेतु अपराध से अर्जित आय को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है।